कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांक– 1201/पंचायतराज/आचरण/नोटिस/2025–26 दिनांक– 02/06/2025

–:: कारण बताओ नोटिस ::–

कृपया अपने पत्र दिनांक–30.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने ग्राम पंचायत अधिकारियों की पोस्टिंग में अनियमितता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के समक्ष ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उ0प्र0 कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 27 (क) में निम्न प्राविधान है–

'' कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हें सरकार समय समय पर जारी करें, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नही करेगा। ''

उपरोक्त उ0प्र0 कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 27 (क) में निहित प्राविधान के अन्तर्गत आपको उपरोक्त प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, परन्तु आप द्वारा बिना अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर कोई पत्राचार किये ही जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के समक्ष सीधे पत्राचार कर उ0प्र0 कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 27 (क) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए आप पूर्णतया दोषी हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में आप तीन दिन के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि में आपका लिखित संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि प्रकरण में आपको कुछ नही कहना है, तद्नुसार आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
गाजीपुर।

पत्रांक– /पंचायतराज/शिकायत/प्र0सू0रि0/2025–26 दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजीपुर।
3. खण्ड विकास अधिकारी सैदपुर, गाजीपुर।
4. सहायक विकास अधिकारी (पं0), सैदपुर, गाजीपुर।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
गाजीपुर।

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांक– /पंचायतराज/आचरण/नोटिस/2025–26 दिनांक– 02/06/2025

–:: कारण बताओ नोटिस ::–

कृपया अपने पत्र दिनांक–30.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपने ग्राम पंचायत अधिकारियों की पोस्टिंग में अनियमितता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के समक्ष ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उ0प्र0 कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 27 (क) में निम्न प्राविधान है–

" कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निर्देशों के अनुसार जिन्हें सरकार समय समय पर जारी करें, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नही करेगा। "

उपरोक्त उ0प्र0 कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 27 (क) में निहित प्राविधान के अन्तर्गत आपको उपरोक्त प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, परन्तु आप द्वारा बिना अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर कोई पत्राचार किये ही जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के समक्ष सीधे पत्राचार कर उ0प्र0 कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 27 (क) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए आप पूर्णतया दोषी हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में आप तीन दिन के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि में आपका लिखित संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नही होता है तो यह मानकर कि प्रकरण में आपको कुछ नही कहना है, तदनुसार आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
गाजीपुर।

पत्रांक–1201 /पंचायतराज/शिकायत/प्र0सू0रि0/2025–26 दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजीपुर।
3. खण्ड विकास अधिकारी सैदपुर, गाजीपुर।
4. सहायक विकास अधिकारी (पं0), सैदपुर, गाजीपुर।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
गाजीपुर।

प्रतिस्थापन / उत्तर
(की ओर से)

सेवा में,
(प्रेषक अधिकारी का नाम),
(कार्यालय का नाम),
(पता)

विषय: शो कॉज़ नोटिस दिनांक //20__ के संबंध में उत्तर।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि आपके द्वारा निर्गत उपर्युक्त शो कॉज़ नोटिस के संबंध में मैं निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ:

1. यह तथ्य रिकॉर्ड में लाना आवश्यक है कि मैंने दिनांक **30/05/2025** को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी, जो **महज प्रतिनिधित्व नहीं था, बल्कि एक वरिष्ठ अधिकारी के आचरण के विरुद्ध उनके उच्चाधिकारी को की गई एक औपचारिक शिकायत** थी।

2. उक्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण आदेश न केवल **उच्च अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया**, बल्कि मेरे उस शिकायत पत्र पर विचार करते हुए अन्य स्थानांतरण भी किए गए, जो यह स्पष्ट करता है कि मेरी शिकायत को गंभीरता से लिया गया और संबंधित अधिकारी की भूमिका संदेहास्पद पाई गई।

3. ऐसी स्थिति में जब शिकायतकर्ता के विरुद्ध उसी अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से **पूर्वग्रह से प्रेरित** कार्रवाई मानी जाती है और यह भारत के संविधान के **अनुच्छेद 14 एवं 21** में समाहित **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** का उल्लंघन है।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Maneka Gandhi v. Union of India**, (1978) 1 SCC 248 में यह निर्णय दिया गया है कि प्रशासनिक कार्यवाहियों में भी न्यायिक प्रक्रिया की तरह **न्यायिक निष्पक्षता और तटस्थता** अनिवार्य है। इसी प्रकार, **A.K. Kraipak v. Union of India**, (1969) 2 SCC 262 में यह स्पष्ट किया गया है कि जब किसी निर्णय में **पक्षपात की आशंका मात्र भी हो**, तो वह निर्णय विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

5. उक्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया यह नोटिस इस मूल न्यायसंगत सिद्धांत का उल्लंघन करता है —

"**कोई व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता**" *(Nemo judex in causa sua)*।

6. ऐसी स्थिति में यह कारण बताओ नोटिस वस्तुतः एक **पक्षपातपूर्ण कार्यवाही** है, और प्रथम दृष्टया **पूर्वाग्रह और दुर्भावना से प्रेरित** प्रतीत होता है, जो वैधानिक और नैतिक दोनों दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है।

अतः, अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए इस कारण बताओ नोटिस को विधिसम्मत रूप से **निरस्त** किया जाए।

आपकी आज्ञाकारी,
(हस्ताक्षर)

दिनांक: //20__